इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 30.08.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गोली मारकर हत्या का प्रयास व धमकी देने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05-05 वर्ष का कारावास व 4500- 4500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते गोली मारकर हत्या का प्रयास व धमकी देने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05-05 वर्ष का कारावास व 4500- 4500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.10.2023 को वादिनी द्वारा उसके पुत्र को जान से मारने की नियत से फायर कर पेट में गोली मारकर हत्या व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना भरथना जनपद इटावा पर सूचना दी गयी जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये दिनांक 05.10.2013 को थाना भरथना पर मु0अ0सं0 367/13 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री उत्तम चन्द्र पटेल द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्तगण 1.सुभाष चन्द्र पुत्र हृदयराम निवासी रावरे हार थाना भरथना जनपद इटावा ,2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हाकिम सिंह निवासी रावरे हार थाना भरथना जनपद इटावा** के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 307/34,504/506 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम,पैरोकार का0 तरूण प्रताप एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तगण को आज दिनांक 30.08.2023 को माननीय न्यायालय ADJ-I इटावा द्वारा 05-05 वर्ष का कारावास व 4500-4500/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र हृदयराम निवासी रावरे हार थाना भरथना जनपद इटावा।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हाकिम सिंह निवासी रावरे हार थाना भरथना जनपद इटावा।